केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/61 दिनांक: 02.05.2016

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00060
CICOM/R/2015/01120

अपीलकर्ता : श्री रणधीर कुमार सिन्हा,
रेलवे आवास सं. 65सी,
आर. एस. किउल – 811310,
बिहार ।

निर्णय की तारीख : 02.05.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	02.11.2015
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	21.12.2015
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री दिनेश कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	02.02.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	112605/11.02.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	68/12.02.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील आदेश सं. CIC/AD/C/2013/0012961 जो कि पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से संबंधित है, के नान-कम्पलाईंस से संबंधित दिनांक 30.04.2015 को लिखे गए पत्र पर की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया गया है कि उनका नान-कम्पलाईंस से संबंधित पत्र संबंधित रजिस्ट्री को भेज दिया गया है । चूंकि वर्तमान कार्य आबंटन के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे सूचना आयुक्त-ए.बी. को आबंटित किया गया है । अत: श्री उमेश चन्द्र जोशी, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त–ए.बी. को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित सूचना स्पष्ट व पूर्ण रूप में उपलब्ध कराई जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
10 MAY 2016
D No.
Initials

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
10 MAY 2016
Initials

---2/-

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अधोहस्ताक्षरी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण अपील के निपटान में हुई देरी के लिए खेद है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री उमेश चन्द्र जोशी, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-ए.बी., केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।